



20

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2012 जिला-रायसेन

R.1975-II/12

गजेन्द्र सिंह आत्मज दिलीप सिंह कुर्मी,
निवासी- ढोलखेड़ी तहसील व जिला विदिशा
वर्तमान निवासी- इन्द्रा कॉम्प्लेक्स नये बस
स्टेण्ड के पीछे विदिशा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- ✓1- बदीप्रसाद पठया आत्मज बिहारीलाल,
- ✓2- लक्ष्मण सिंह आत्मज बिहारीलाल,
- ✓3- प्रकाश सिंह आत्मज आत्मज बिहारीलाल,
निवासीगण- पड़रियागंज तहसील गैरतगंज,
जिला-रायसेन (म.प्र.)
- ✓4- ईश्वरीबाई पुत्री बिहारीलाल, निवासी- भैंसा
तहसील राहतगढ़ जिला-सागर (म.प्र.)
- ✓5- सुशीलाबाई पत्नी रामकिशन, निवासी- सलैया
तहसील सिलवानी, जिला-सागर (म.प्र.)
- 6- निवोद बाई पत्नी रतन सिंह, निवासी- रीछई
जिला-सागर (म.प्र.)
- ✓7- महेन्द्र आत्मज रामनारायण,
- ✓8- वीरेन्द्र सिंह आत्मज रामनारायण,
निवासीगण- खेरी तहसील बैगमगंज,
जिला-रायसेन (म.प्र.)
- ✓9- जितेन्द्र आत्मज रामनारायण, निवासी- खेरी
तहसील बैगमगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.)
- 10- शांतिबाई पत्नी राम सिंह कुर्मी, निवासी- ग्राम
बटयावधा तहसील राहतगढ़ जिला-सागर
- 11- देवेन्द्र सिंह आत्मज दिलीप सिंह कुर्मी,
निवासी- ढोलखेड़ी तहसील व जिला विदिशा
वर्तमान निवासी- एच.आई.जी. 80 इन्द्रा
कॉम्प्लेक्स नये बस स्टेण्ड के पीछे विदिशा
(म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज, जिला-रायसेन द्वारा
प्रकरण क्रमांक 20/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक
25.05.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50
के अधीन पुनरीक्षण।

R / 1975-II/12

घोषित-वकील (क.प्र.)
आज दि 31/7/12 को
पस्तुत



क
घरक ऑफिस
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4-15 PM

Dehotwadi
31/7/12

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1975-दो/12

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 से 3 एवं 7 से 9 की ओर से श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । आपत्तिकर्ता की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु पूर्व में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: center;">   अध्यक्ष </p>	